भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 839

दिनांक 23.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

लद्दाख में सीबकथॉर्न और खुबानी आधारित उद्यमों के लिए सहायता

839. **श्री मोहम्मद हनीफ़ाः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में, विशेष रूप से न्यूट्रास्युटिकल और कॉस्मेटिक अनुप्रयोगों के लिए एसिटिक जूस प्रसंस्करण और कार्बन डाइआक्साइड आधारित क्रिटिकल ऑयल निष्कर्षण के क्षेत्र में, सीबकथॉर्न और खुबानी आधारित मूल्य संवर्धन की क्षमता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उद्यमियों को लद्दाख में ऐसी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजनाओं के तहत पूंजीगत राजसहायता, ऋण-संबद्ध वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में एमएसएमई के लिए किसी तकनीकी सहायता, कौशल विकास, इन्क्यूबेशन और सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात को बढ़ावा देने और लद्दाख को उच्च मूल्य वाले सीबकथॉर्न और खुबानी आधारित उत्पादों के एक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम के माध्यम से संघ-राज्य क्षेत्र लद्दाख में करगिल जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में सीबकथॉर्न और लेह जिले के लिए ओडीओपी के रूप में खुबानी को चिह्नित किया है। यह स्कीम, जूस, न्यूट्रास्युटिकल्स और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण सहित इन उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में संलग्न सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है बशर्ते वह स्कीम दिशा निर्देशों के अनरूप हो।

(ख): पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत, लद्दाख सहित पूरे देश में 35% के ऋण-संबद्ध अनुदान के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये की अनुदान राशि के साथ मौजूदा इकाइयों को उन्नत करने या नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% ऋण संबद्ध सब्सिडी, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को आधारभूत पूंजी, इन्क्यूबेशन सेंटर, सामान्य अवसंरचना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग एवं क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करती है। स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पात्र वित्तीय सहायता का ब्योरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत संघ-राज्य क्षेत्र लद्दाख में ऋण-संबद्ध सब्सिडी के अंतर्गत 104 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। दिनांक 31 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार इनमें से 31 सीबकथॉर्न प्रसंस्करण उद्यम और 44 खुबानी प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित ऋण-संबद्ध सब्सिडी स्कीम है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमियों को सतत रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों पर मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएमईजीपी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की एमएम सब्सिडी के साथ सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को सहायता प्रदान करता है। विशेष श्रेणियों, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, अवकाश-प्राप्त सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में एमएम सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। सीबकथॉर्न और खुबानी की कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित लद्दाख क्षेत्र में पीएमईजीपी के अंतर्गत अब तक 16 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अधीनस्थ महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) खुबानी और सीबकथॉर्न सुखाने, एसेंसियल तेल निष्कर्षण प्रणालियों को डिजाइन करने और लैवेंडर तेल निष्कर्षण में प्रशिक्षण सहित कौशल विकास क्रियाकलापों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग): पीएमएफएमई स्कीम के इन्क्यूबेशन केंद्र घटक के अंतर्गत सूक्ष्म-उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को पूंजी निवेश के बिना खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक केंद्र में ओडीओपी और संबद्ध उत्पादों के लिए 3-5 प्रसंस्करण लाइनें हैं और कस्टम हायरिंग आधार पर काम करती हैं। स्कीम के अंतर्गत लेह में सीबकथॉर्न प्रसंस्करण और करगिल में खुबानी प्रसंस्करण के साथ इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, यह स्कीम सामान्य अवसंरचना के निर्माण के लिए एफपीओ/एसएचजी और इसके संघों/सहकारी समितियों/सरकारी एजेंसियों को सामान्य बुनियादी ढांचे/मूल्य श्रृंखला/इन्क्यूबेशन केंद्र के साथ खाद्य प्रसंस्करण लाइन स्थापित करने के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% की सहायता प्रदान करती है। ये सुविधाएं कार्य-निष्पादन के लिए उच्च-स्तरीय प्रसंस्करण, परीक्षण, भंडारण, पैकेजिंग और प्रशिक्षण अवसंरचना के साथ-साथ तकनीकी सहायता, उत्पाद विकास और गुणवत्ता परीक्षण तक पहुंच प्रदान करती हैं। इसके अलावा, स्कीम उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उत्पाद विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रदान करती है ताकि उद्यमियों की प्रबंधकीय, तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके।

(घ): भारत सरकार पीएमएफएमई स्कीम के ब्रांडिंग और विपणन घटक के माध्यम से लद्दाख से सीबकथॉर्न और खुबानी आधारित उत्पादों के निर्यात और बाजार विकास को बढ़ावा देती है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एफपीओ, सहकारी समितियों, एसएचजी और राज्य या क्षेत्रीय एसपीवी के समूहों को राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर एक सामान्य अम्ब्रेला ब्रांड विकसित करने के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% तक सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और खाद्य सुरक्षा अनुपालन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और वर्ल्ड फूड इंडिया में लाभार्थियों की भागीदारी को भी सुगम बनाती है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ बाजार संपर्क स्थापित होता है। इन पहलों का उद्देश्य लद्दाख से उच्च मूल्य वाले खाद्य उत्पादों की विपणन क्षमता और निर्यात क्षमता को बढ़ाना है।

अनुलग्नक

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम के अंतर्गत उद्यमों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्योरा निम्नानुसार है:

(i). व्यक्तिगत / समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रु. प्रति इकाई;

(ii). आधारभूत पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में संलग्न एसएचजी को 40,000/-प्रति सदस्य की आधारभूत पूंजी जो प्रति एसएचजी फेडरेशन अधिकतकम 4 लाख रुपए हो सकती है।

(iii). सामान्य अवसंरचना हेतु सहायता: सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सहायता प्रदान करने के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये हो सकती है। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी ताकि वे पर्याप्त क्षमता के लिए किराए के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv). ब्रांडिग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक का अनुदान।

(v). क्षमता निर्माण: इस स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी) कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।